ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0025112

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
22.06.2013	उभयपक्ष अनुपस्थित । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0218211 मेसर्स श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज विरूद्ध चीफ इंजीनियर में पारित आदेश 17.05.12 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया था कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कण्डिका 3.35 के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत संबंधी अभ्यावेदन ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार उसे नहीं हैं, क्योंकि उपभोक्ता की शिकायत का संबंध विद्युत की चोरी से है और यह अपराध विद्युत अधिनियम, 2003 के अध्याय 14 की परिधि में आता है । आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष जो शिकायत प्रस्तुत की थी उसका मूल आधार यह था कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत देयक पर जो सरचार्ज लगाया जा रहा है वह विधिसंगत नहीं है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस शिकायत का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया था कि उनके मध्य विवाद का मूल कारण विद्युत चोरी का है । विद्युत चोरी के मामले में सरचार्ज के रूप में या अन्य रूप में विद्युत कम्पनी द्वारा जो राशि मांगी गई है उससे संबंधित विवाद का क्षेत्राधिकार विद्युत उपभोक्ता फोरम को नहीं है । इस विवाद के संबंध में दिनांक 22.12.12 को उभय पक्षों को सुना गया था तथा अन्तिम सुनवाई के समय इस बिन्दु के संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करने का समय पक्षकारों को दिया गया था कि विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार फोरम को था अथवा नहीं । स्थगित दिनांक 08.02.13, 18.04.13 तथा 15.05.13 को अवसर दिए जाने के बाद भी आवेदक/उपभोक्ता की ओर से इस तथ्य के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । आवेदक/उपभोक्ता के अभ्यावेदन का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उसने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि उससे सरचार्ज के रूप में राशि वसूली योग्य नहीं है, परन्तु आवेदक/उपभोक्ता ने इस तथ्य के संबंध में कोई आधार नहीं लिया है कि प्रश्नगत् विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार फोरम को है । ..... निरन्तर	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0025112

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	पूर्व पृष्ठ से निरन्तर ... मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कण्डिका 4.23 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत लोकपाल शिकायतकर्ता के कारण हुई देरी के आधार पर प्रकरण के गुण–दोषों के आधार पर कार्यवाही कर सकता है या अभ्यावेदन को निरस्त करने का निर्णय ले सकता है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया था कि उसे शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । फोरम का यह आदेश विधिसंगत नहीं था, इस तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति उपभोक्ता द्वारा अभ्यावेदन में नहीं की गई है । प्रथमदृष्टि फोरम का आदेश विधिसंगत प्रतीत होता है तथा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है । यह आदेश भी दिया जाता है कि विवादित राशि के संबंध में अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से आदेश दिनांक तक की अवधि के लिए ब्याज वसूल पाने के अधिकारी होंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	